प्रारुप - 21

परियोजना का नामः – जनपद पिथौरागढ़ में तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता **3x40=120** मेगावाट) के नवनिर्माण हेतु 29.997 हेक्टेयर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
जिलास्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

उपखण्ड मुनस्यारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता **3x40=120** मेगावाट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि 8.562 है0 सिविल एवं सोयम, वन भूमि 21. 435 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 29.997 है0 वन भूमि का यूजेविएन लिमिटेड, मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलास्तरीय समिति (जिला पिथौरागढ़) की दिनांक 7.03.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक डा0 आशीष चौहान जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः –

1.	डा0 आशीष चौहान	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	अध्यक्ष
2.	डा0 विनय भार्गव	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़	सदस्य
3.	डा0 पंकज कुमार जोशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4.	श्री जगत सिंह मर्तोलिया	सदस्य जिला पंचायत	सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत सिरकारी भ्यौल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता **3x40=120** मेगावाट) के नवनिर्माण हेतु 29.997 हेक्टेयर वन भूमि यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा एवं उपखण्डस्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी अध्यक्ष	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव	सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र सदस्य
जिलाधिकारी पिथौरागढ़	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़	जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़	जगत मर्तोलिया सदस्य, जिला पंचायत 07—सरमोली वार्ड, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

प्रारूप - 21.1

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No. Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non –forest purposes., it is certified that 29.997 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, UJVN Limited, Division-Munsyari (name of user agency) for construction of Sirkari Bhyol Rupsiabagar (3x40=120 MW Hydro Electric Project) (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of Saibhat village (s) at tehsil Munsyari in Pithoragarh district

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA hectares carried out for the entire 29.997 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of record of all consolations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha / Gram Panchayat (s) sub Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I and II.

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha / Gram Panchayat of forest- dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha / Gram Panchayat (s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion, a copy of certificate issued by the of Saibhat villages (s) is enclosed as annexure- I to annexure- II.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Gram sabha / Gram Panchayat;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabha / Gram Panchayat have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी पिथौरागढ़

(Full name and official sal of the District Collector)

प्रारूप- 21.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of Mr/Mrs/Miss Dr. Ashish Chauhan, I.A.S., deputy commissioner Pithoragarh on dated..7.03.2022.at time .15.00..at Pithoragarh in which application claiming rights in village Saibhat area measuring 29.997 hectares for the construction of construction of Sirkari Bhyol Rupsiabagar (3x40=120 MW Hydro Electric Project) forest land under FRA.2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Munsyari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend and above case for diversion of land for the said purpose.

Place:..Pithoragarh

Dated:..7.03.2022

Deputy Commissioner-cum Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़